न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्याः— 57 / 2024
दायर दिनांकः— 31.05.2024
पीठासीन अधिकारीः— विनय पाठक, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेश सिंह पंवार पुत्र श्री प्रेम सिंह पंवार, मैसर्स मातेश्वरी इन्टरप्राइजेज, शंखेश्वर प्लाजा, धमोतर दरवाजा, प्रतापगढ़
2. M/s Rahi enterprises, plot no. 50, Rahi leela, behind hotel grand taya, gugla magra, ghati utar, rebariyon ka gourha, 08 pratapnagar, Udaipur
3. M/s empire spices & foods ltd, empire house, plot no 30, nashik 422009

— अप्रार्थीगण

:—आदेश—:

दिनांक 24 / 07 / 2024

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक / क—4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड टोमेटो केचअप (टेम्पटीन) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 [illegible] है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं[illegible] विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जांच रिपोर्ट [illegible] पत्र विकेता द्वारा प्र[illegible]पथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्व[illegible]पत्रावली पेश करने तथा [illegible] फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.07.26 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.10.2023 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते निरीक्षण मैसर्स मातेश्वरी इन्टरप्राईजेज, शंखेश्वर प्लाजा धमोतर दरवाजा, प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां पर टोमेटो केचअप (टेम्पटीन) 1 किलोग्राम के 14 पैकेट पैक अवस्था में रखे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम महेश सिंह पंवार पुत्र श्री प्रेम सिंह पंवार बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे टोमेटो केचअप (टेम्पटीन) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया गया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 1 किलोग्राम के टोमेटो केचअप के 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 600 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाह ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमक के पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाह के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये ओर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भुरे कागज में लपेट कर प्रत्यके भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप वाई 1981 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमू[illegible] फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मो[illegible] कर [illegible]द्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त [illegible] की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन [illegible]स्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.07.26 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ टोमेटो केचअप (टेम्पटीन) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया। विक्रेता द्वारा फूड लायसेंस एवं बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त क्रम में मैसर्स राही इन्टरप्राईजेज उदयपुर को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करन हेतु कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैसर्स एम्पायर स्पाईसेज नासिक को फर्म की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गई।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी 1 व 3 उपस्थित जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब में बताया कि जेसा माल वो कम्पनी से पैकिंग में क्रय करते है वैसा ही विक्रय करत है। किसी भी प्रकार की उत्पाद में अनियमितता होता है तो उत्पादक कम्पनी ही जवाबदार होती है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीए. लेब. [illegible] एक्ट/2023/1393 दिनांक 07.11.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु टोमेटो केचअप (टेम्पटीन) का नमूना जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट बताती है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.07.26 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

अप्रार्थी के यहां दिनांक 23.10.2023 को उपलब्ध कुल माल 14 पैकेट की कीमत 2100 रू की पन्द्रह गुना शास्ति 31500/—रू अक्षरे इकतीस हजार पॉच सौ रू शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 24.07.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

24.7.24
(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2024/ 4110-12 दिनांक 24.07.2024

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. M/s empire spices & foods ltd, empire house, plot no 30, nashik 422009

24.7.24
(विनय पाठक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.07.26 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested